ई-मेल/स्पीड पोस्ट द्वारा

भारत निर्वाचन आयोग

निर्वाचन सदन, अशोक रोड, नई दिल्ली-110001

सं. 52/2021/एसडीआर/खंड.1 दिनांकः 2 फरवरी, 2021

सेवा में,

सभी राज्य व संघ राज्य-क्षेत्र के
मुख्य निर्वाचन अधिकारी

विषयः **वरिष्ठ नागरिकों, दिव्यांगजनों और कोविड-19 के संदिग्ध एवं प्रभावित व्यक्तियों की श्रेणी में अनुपस्थित मतदाताओं द्वारा डाक मतपत्र के जरिए मतदान के लिए दिशा-निर्देश - तत्संबंधी।**

संदर्भ :- (i) पत्र सं. 52/2020/एसडीआर/खंड. । दिनांक 17.09.2020 और
(ii) पत्र सं. 52/2020/एसडीआर/खंड. ।दिनांक 03.10.2020

महोदय/महोदया

मुझे आयोग के ऊपर उल्लिखित पत्रों का संदर्भ लेने और आगामी सभी निर्वाचनों में अनुपालन हेतु वरिष्ठ नागरिकों (80 वर्ष से अधिक आयु), निर्वाचन नामावली में इंगित दिव्यांगजनों और कोविड-19 के संदिग्ध एवं प्रभावित व्यक्तियों की श्रेणी में अनुपस्थित मतदाताओं द्वारा डाक मतपत्र के जरिए मतदान के लिए संशोधित दिशा-निर्देश को एतद्द्वारा अग्रेषित करने का निदेश हुआ है।

2. इसे सभी जिला निर्वाचन अधिकारियों, रिटर्निंग अधिकारियों और अन्य संबंधित निर्वाचक प्राधिकारियों और मान्यता प्राप्त राजनीतिक दलों की राज्य यूनिटों और आपके राज्य/संघ-राज्य क्षेत्र में आधारित सभी पंजीकृत अमान्यताप्राप्त राजनीतिक दलों की जानकारी में लाया जाए।

कृपया पावती दें।

भवदीय
हस्ता.
(एन.टी. भूटिया)
सचिव

मानक वितरण

वरिष्ठ नागरिकों, दिव्यांगजनों और कोविड-19 के संदिग्ध एवं प्रभावित व्यक्तियों की श्रेणी में अनुपस्थित मतदाताओं द्वारा डाक मतपत्र के जरिए मतदान के लिए दिशा-निर्देश

1. निर्वाचनों का संचालन (संशोधन) नियम, 2019, और निर्वाचन आयोग के दिनांक 16 जुलाई, 2020 के निर्णय के साथ पठित निर्वाचनों का संचालन (संशोधन) नियम, 2020 के अनुसरण में अनुपस्थित मतदाताओं की निम्नलिखित श्रेणियों को डाक मतपत्र (पीबी) के माध्यम से मतदान की सुविधा दी गई हैः

(i) वरिष्ठ नागरिक (80 वर्ष से अधिक आयु के),
(ii) निर्वाचक नामावली में इंगित किए गए दिव्यांगजन, और
(iii) कोविड-19 के संदिग्ध एवं प्रभावित व्यक्ति।

2. <u>अनुपस्थित मतदाताओं द्वारा डाक मतपत्र (पीबी) का आवेदन करने हेतु प्रक्रिया</u>

(2.1) डाक मतपत्र द्वारा मतदान करने के इच्छुक किसी भी अनुपस्थित मतदाता को संबंधित निर्वाचन क्षेत्र के रिटर्निंग अधिकारी (आरओ) को सभी आवश्यक विवरण देते हुए, प्रपत्र 12-घ में आवेदन करना पड़ता है। **<u>डाक मतपत्र की सुविधा की अपेक्षा वाला ऐसा आवेदन संबंधित निर्वाचन की अधिसूचना की तारीख के बाद पांच दिनों के भीतर आरओ तक पहुंच जाना चाहिए।</u>**

(2.2) निर्वाचन का संचालन नियम, 1961 के नियम 27ङ और 27-झ के तहत संशोधित प्रावधानों के अनुसार, अनुपस्थित मतदाता को डाक मतपत्र जारी करने और मतदान के बाद मतपत्र की वापसी का कार्य आयोग द्वारा यथानिदेशित रीति से किया जाएगा। तदनुसार, आयोग ने वरिष्ठ नागरिक श्रेणी के अनुपस्थित मतदाताओं (एवीएससी), दिव्यांगजन (पीडब्ल्यूडी) श्रेणी के अनुपस्थित मतदाताओं (एवीपीडी) और कोविड-19 श्रेणी से संबंधित अनुपस्थित मतदाताओं (एवीसीओ) द्वारा डाक मतपत्रों के माध्यम से मतदान की सुविधा के लिए निम्नलिखित प्रक्रिया/दिशानिर्देश निर्धारित किए हैं।

(2.3) यदि निर्वाचन के समय कोई भी निर्वाचक कोविड-19 की वजह से राज्य के भीतर अस्पताल में भर्ती है, अथवा कोविड-19 की वजह से होम/संस्थागत संगरोध (क्वारंटीन) में है और परिणामस्वरूप चिकित्सीय सलाह के अनुसार मतदान केंद्र में व्यक्तिगत रूप से मत डालने की स्थिति में नहीं है और यदि ऐसा निर्वाचक डाक मतपत्र जारी करने के लिए अनुरोध करता है, तो आवेदन की वास्तविकता के बारे में समाधान हो जाने पर संबंधित रिटर्निंग अधिकारी (आरओ), निर्वाचक को डाक मतपत्र प्रदान करेगा। रिटर्निंग अधिकारी (आरओ) डाक मतपत्र पहुंचाने और निर्वाचन क्षेत्र में मतदान के लिए नियत तिथि से पहले उक्त निर्वाचक से इसे वापस मंगवाने की व्यवस्था करेगा। यह व्यवस्था आयोग के निदेशों पर मुख्य सचिव द्वारा नामित कोविड-19 के नोडल अधिकारी के समन्वय में की जाएगी। ऐसे निर्वाचकों से डाक मतपत्र के लिए आवेदन (प्रपत्र 12-घ) के साथ सक्षम स्वास्थ्य प्राधिकारियों से प्रमाण-पत्र/निर्देशों की प्रतिलिपि संलग्न होनी

चाहिए, जिसमें यह दर्शाया गया हो कि आवेदक कोविड-19 की वजह से राज्य में अस्पताल में भर्ती है या राज्य के भीतर संगरोध (क्वारंटीन) (गृह या संस्थागत) में है।

(2.4) यदि कोई अनुपस्थित मतदाता दिव्यांगजन श्रेणी का हो जिसने डाक मतपत्र का विकल्प दिया है का आवेदन (प्रपत्र 12-घ) दिव्यांगजन अधिकार अधिनियम 2016 के अधीन संबंधित समीचीन सरकार द्वारा निर्दिष्ट मानक दिव्यांगजन प्रमाणपत्र की प्रति के साथ होने चाहिए।

3. <u>रिटर्निंग अधिकारी (आरओ) द्वारा कार्रवाई-</u>

(3.1) बीएलओ द्वारा प्ररूप-12घ का वितरणः

(क) बीएलओ, मतदान केंद्र क्षेत्र में रिटर्निंग आफिसर द्वारा दिए ब्यौरे के अनुसार एवीएससी, एवीपीडी एवीसीओ की श्रेणी के अनुपस्थित मतदाताओं के घर जाएंगे और संबंधित निर्वाचकों को प्रपत्र 12घ देंगे और उनसे पावती प्राप्त करेंगे।

(ख) बीएलओ, निर्वाचकों से प्राप्त सभी पावतियों को रिटर्निंग आफिसर के पास जमा करेंगे।

(ग) यदि कोई निर्वाचक उपलब्ध नहीं है, तो वहां बीएलओ अपना संपर्क विवरण देगा तथा अधिसूचना से पांच दिनों के भीतर पुनः जाकर पावतियां एकत्र करेगा।

(घ) निर्वाचक डाक मतपत्र के लिए अपना विकल्प दे सकते है और नहीं भी दे सकते हैं। यदि वे डाक मतपत्र के लिए अपना विकल्प देते हैं तो बीएलओ अधिसूचना से पांच दिनों के भीतर निर्वाचक के घर से 12घ में भरा गया प्रपत्र एकत्र करेगा और उसे रिटर्निंग आफिसर के पास जमा करेगा।

(ङ) सेक्टर आफिसर, रिटर्निंग आफिसर के समग्र पर्यवेक्षण के अधीन बीएलओ द्वारा प्रपत्र 12घ के वितरण और संग्रहण की प्रक्रिया का पर्यवेक्षण करेगा।

(3.2) प्रपत्र-12घ में आवेदन मिलने पर, रिटर्निंग अधिकारी (आरओ) 3 श्रेणियों अर्थात् (क) 'एवीएससी', (ख) 'एवीपीडी' और (ग) 'एवीसीओ' में उन सभी अनुपस्थित मतदाताओं की सूची (अनुलग्नक-1 के अनुसार फार्मेट) तैयार करेगा, जिनके आवेदन पत्र समय पर मिल गए हैं और पूरी तरह से ठीक हैं।

(3.3) निर्वाचन के लिए नामनिर्देशन करने की अंतिम तारीख को उस निर्वाचन विशेष के लिए निर्वाचक नामावली स्थिर (फ्रोजन) कर दी जाती है और निर्वाचन पूरा होने तक उस नामावली में और नाम जोड़ने अथवा हटाने संबंधी कोई कार्य नहीं किया जाता है। इस स्तर पर, रिटर्निंग अधिकारी (आरओ) यह सत्यापित और सुनिश्चित करेगा कि डाक मतपत्र वाले आवेदक निर्वाचक के रूप में पंजीकृत हों तथा प्रपत्र 12-घ में उनके निर्वाचन संबंधी विवरण मौजूदा निर्वाचक नामावली के संदर्भानुसार सही हों। निर्वाचक नामावली के संदर्भानुसार सही विवरण पाए जाने वाले सभी निर्वाचकों को एवीएससी और एवीपीडी की श्रेणी में अनुपस्थित मतदाताओं के रूप में डाक मतपत्र जारी किए जाएंगे। यदि

अनुपस्थित मतदाता कोविड-19 (एवीसीओ) की श्रेणी से संबंधित हों, तो प्रपत्र 12घ जारी करने से पहले रिटर्निंग अधिकारी राज्य सरकार/संघ राज्य क्षेत्र प्रशासन द्वारा विधिवत नियुक्त किए गए सक्षम प्राधिकारी के प्रमाणपत्र की इस आशय से जांच करेगा कि निर्वाचक कोविड-19 की वजह से गृह संगरोध (होम क्वारंटीन) अथवा संस्थागत संगरोध (क्वारंटीन) में हो।

(3.4) रिटर्निंग अधिकारी (आरओ) ऐसे निर्वाचकों के नामों के सामने निर्वाचक नामावली की चिह्नित प्रति में यह दर्शाने के लिए प्रविष्टि 'पीबी' भी करेगा कि उन्हें एक डाक मतपत्र जारी कर दिया गया है, परंतु उसमें वह उन्हें जारी किए गए मत पत्र की क्रम संख्या दर्ज नहीं करेगा।

(3.5) रिटर्निंग अधिकारी (आरओ) यह भी सुनिश्चित करेगा कि ऐसे निर्वाचक, जिन्हें डाक मतपत्र जारी कर दिए गए हैं, वे मतदान केंद्र पर मतदान करने हेतु अनुमत्य नहीं है।

(3.6) इसके अतिरिक्त, आरओ उन सभी पीडब्ल्यूडी और 80+ निर्वाचकों की सूची मुद्रित हार्ड कॉपी में मान्यता प्राप्त राजनीतिक दलों के चुनाव लड़ने वाले उम्मीदवारों के साथ साझा करेगा, जिनके आवेदन डाक मतपत्र सुविधा लेने के लिए प्रपत्र-12घ में उनके द्वारा अनुमोदित किए गए हों।

4. **<u>डाक मतपत्र का प्ररूप और डिजाइन</u>**

अनुपस्थित मतदाताओं के लिए डाक मतपत्र का प्ररूप और भाषा वैसी ही होगी जैसी निर्वाचन ड्यूटी पर मतदाताओं के लिए डाक मतपत्र की होती है। इस संदर्भ में, निर्वाचन ड्यूटी पर मतदाताओं के लिए डाक मतपत्र के प्रपत्र के संबंध में आयोग के दिनांक 18 सितंबर, 2015 के दिशानिर्देश सं. 52/2015/एसडीआर/खंड.1 और दिनांक 24 फरवरी, 2016 के दिशानिर्देश सं. 52/2016/एसडीआर/खंड.1 का अवलोकन करें **(प्रति संलग्न)**।

5. **<u>मतदान पदाधिकारियों का दौरा, निर्वाचकों को जानकारी देना और चिन्हित मतपत्रों को एकत्र करनाः-</u>**

(5.1) इस प्रयोजनार्थ मतदान अधिकारियों की अलग टीमों की नियुक्ति की जानी चाहिए, जिनमें दो पदाधिकारी शामिल होंगे और इसमें से कम से कम एक पदाधिकारी, राज्य में मतदान केंद्र के लिए मतदान अधिकारी के रूप में नियुक्त किए गए पदाधिकारी के रैंक/स्तर से कम न हो।

(5.2) नियुक्त किए जाने वाले मतदान पदाधिकारियों की टीमों की संख्या उन अनुपस्थित मतदाताओं की संख्या पर निर्भर करेगी, जिन्हें डाक मतपत्र जारी किए गए हैं।

(5.3) मतदान पदाधिकारियों की टीम, निर्वाचकों द्वारा प्रपत्र 12घ में अपने आवेदन पत्रों में उल्लिखित पते पर निर्वाचकों से मिलेगी, ताकि उन्हें डाक मतपत्र द्वारा मतदान करने में सुविधा प्रदान की जा सके।

(5.4) निर्वाचकों को मतदान पदाधिकारियों के दौरे की तारीख और अनुमानित समय के बारे में पहले से ही सूचित किया जाएगा। ऐसी सूचना प्रपत्र 12घ में आवेदन पत्र में उल्लिखित किए गए मोबाइल फोन, यदि उपलब्ध करवाया गया हो, पर एसएमएस के जरिए दी जाए। अन्य मामलों में, डाक द्वारा और/अथवा बीएलओ के माध्यम से सूचना दी जाए।

(5.5) यदि प्रथम दौरे के समय निर्वाचक प्रपत्र में दिए गए पते पर मौजूद नहीं मिलता है, तो टीम अपने दूसरे दौरे के समय के बारे में सूचना देते हुए अपना दूसरा दौरा करेगी। यदि निर्वाचक दूसरे दौरे के समय भी मौजूद नहीं मिलता है, तो उसके मामले में आगे कोई भी कार्रवाई अथवा दौरा अपेक्षित नहीं होगा।

(5.6) अभ्यर्थियों को इस श्रेणी के डाक मतपत्र देने और एकत्रित किए जाने के लिए दौरे के कार्यक्रम की सूचना दी जाएगी। यदि वे चाहें, तो प्रक्रिया पर नजर रखने के लिए रिटर्निंग अधिकारी को पूर्व सूचना देकर अपने प्राधिकृत प्रतिनिधियों (बीएलए सहित) को प्रतिनियुक्त कर सकते हैं।

(5.7) एवीएससी, एवीपीडी और एवीसीओ निर्वाचकों की सूची निर्वाचन अधिकारियों की विभिन्न टीमों में वितरित किए जाने हेतु इस तरह से बांटी जाएगी कि प्रत्येक टीम को सुगठित भौगोलिक क्षेत्र में व्यक्तियों की सूची मिले।

(5.8) दौरे पर जाने वाले मतदान अधिकारी डाक मतपत्र जारी करने से पहले निर्वाचक की पहचान सुनिश्चित करेंगे।

(5.9) निर्वाचक का नाम और पहचान के लिए प्रस्तुत दस्तावेज की प्रविष्टि इस प्रयोजन के लिए बनाए गए एक रजिस्टर (अनुबंध-2 के रूप में संलग्न) में भी दर्ज की जाएगी और उसमें निर्वाचक के हस्ताक्षर/अंगूठे का निशान लिया जाएगा। इसके अलावा, यह दर्शाने के लिए कि व्यक्ति ने मत दे दिया है, एवीएससी, एवीपीडी और एवीसीओ की सूची में निर्वाचक के नाम के सामने सही का निशान लगाया जाएगा। विधिवत भरी गई निर्वाचक की क्रम संख्या और भाग संख्या सहित काउन्टरफ्वायल को अलग किया जाएगा और टीम द्वारा सुरक्षित रखा जाएगा।

(5.10) संबंधित निर्वाचक के पते पर उपस्थित रहकर सभी कार्रवाई करते समय मतदान अधिकारियों की प्रत्येक टीम की यह जिम्मेदारी होगी कि

(क)वे उन्हें निर्दिष्ट प्रत्येक अनुपस्थित मतदाताओं के लिए डाक मतपत्र जारी करें,

(ख) डाक मतपत्र के द्वारा मतदान करने के लिए अपनाई जाने वाली प्रक्रिया के बारे में निर्वाचक को बताएं,

(ग) यह सुनिश्चित करें कि निर्वाचक को अपनी पसंद से मतदान करने में कोई प्रभावित न करे, और मतदान की गोपनीयता सुनिश्चित करें। तथापि, यदि कोई निर्वाचक दृष्टिहीनता या शारीरिक निर्बलताओं के कारण अपना मत देने में समर्थ नहीं है तो मतदान करने के लिए उसे किसी वयस्क व्यक्ति की सहायता लेने की अनुमति दी जाएगी।

(5.11) मतदान अधिकारी निर्वाचकों को उनके द्वारा मतदान की प्रक्रिया तथा उनके द्वारा निभाई जाने वाली औपचारिकताओं के संबंध में बताते समय उन्हें निम्नलिखित बिंदुओं की स्पष्ट रूप से व्याख्या करेंगेः

(क) फार्म 13क में घोषणा करना और इसे स्वयं मतदान अधिकारी द्वारा अधिप्रमाणित करवाना,

(ख) फार्म 13क और छोटे लिफाफे (फार्म 13ख), दोनों पर डाक मतपत्र की क्रम संख्या डालना,

(ग) मतदान करने का तरीका, अर्थात पसंद के अभ्यर्थी के नाम के सामने क्रॉस अथवा सही का चिन्ह लगाना,

(घ) चिन्हित बैलट को मोड़ कर उसे छोटे लिफाफे में रखना और लिफाफे को बंद करना,

(ङ) विधिवत भरे हुए, हस्ताक्षरित तथा अधिप्रमाणित फार्म 13क में की गई घोषणा को बड़े लिफाफे (फार्म 13ग) के भीतर मतदान किए गए मतपत्र वाले बंद लिफाफे (फार्म 13ख) के साथ रखना,

(च) बड़े लिफाफे को बंद करना और उसे मतदान अधिकारी को सौंपना।

(5.12) मतदान अधिकारी एवीएससी, एवीपीडी और एवीसीओ निर्वाचकों के मामले में फार्म 13क में की गई घोषणा को अधिप्रमाणित करने के लिए प्राधिकृत हैं। घोषणा को अधिप्रमाणित करते समय मतदान अधिकारी अपना पूरा नाम तथा पदनाम "मतदान अधिकारी" भी लिखेंगे। अस्पताल में उपचाराधीन कोविड ग्रस्त व्यक्ति के मामले में उस व्यक्ति की देख-रेख कर रहे चिकित्सा अधिकारी भी अधिप्रमाणित करने के लिए प्राधिकृत हैं।

(5.13) जब डाक मतपत्र पर मत डाल दिया जाता है और फार्म 13ग में लिफाफा तैयार कर दिया जाता है तो मतदान अधिकारी उसे इकट्ठा करेंगे।

(5.14) मतदान अधिकारियों की प्रत्येक टीम को एवीएससी, एवीपीडी और एवीसीओ निर्वाचकों की सूची प्रदान करने के साथ-साथ उन्हें पर्याप्त संख्या में डाक मतपत्र, लिफाफे, कलम, इंकपैड (जहां कहीं अपेक्षित हो, वहाँ अंगूठे के निशान के लिए), लिफाफों को बंद करने के लिए ग्लू स्टिक, मतदान किए गए मतपत्रों के लिफाफों और उनके

काउंटरफ्वायल को सुरक्षित रखने के लिए एक पर्याप्त बड़ा कैनवास थैला और अन्य अनिवार्य स्टेशनरी के सामान, जो आवश्यक समझे जाएं, प्रदान किए जाने चाहिए।

(5.15) मतदान अधिकारियों को उनकी यात्राओं के दौरान पुलिस सुरक्षा कवर प्रदान किया जाना चाहिए। एवीएससी/एवीपीडी/एवीसीओ निर्वाचकों के पते पर कार्यवाहियों की वीडियोग्राफी के प्रबंध भी किए जाने चाहिए। इस प्रयोजन के लिए मतदान अधिकारियों के साथ वीडियोग्राफर को भी ले जाया जाना चाहिए। यह सुनिश्चित किया जाएगा कि वीडियोग्राफी की कार्यवाही करते समय मत की गोपनीयता भंग न हो।

(5.16) एवीएससी, एवीपीडी और एवीसीओ निर्वाचकों के पते पर मतदान अधिकारियों के दौरों की योजना इस प्रकार से बनाई जानी चाहिए कि यह निर्वाचन क्षेत्र में मतदान के लिए तय तारीख से एक दिन पहले पूरी कर ली जाए। उदाहरण के लिए, यदि मतदान महीने की 10 तारीख को तय है तो एवीएससी, एवीपीडी और एवीसीओ निर्वाचकों के लिए डाक मतदान का काम उस महीने की 09 तारीख पूरा कर लिया जाना चाहिए।

(5.17) एवीसीओ निर्वाचकों के लिए नियुक्त मतदान अधिकारी हेतु पीपीई किट सहित उपयुक्त सुरक्षा उपकरण उपलब्ध कराया जाएगा। ऐसा एवीसीओ निर्वाचकों के लिए नोडल स्वास्थ अधिकारी से परामर्श करके किया जाना चाहिए।

6. **<u>मतदान किए गए मतपत्रों और काउंटरफॉइल वाले लिफाफों को सौंपना</u>**

एवीएससी/एवीपीडी/एवीसीओ निर्वाचकों के पते पर मतदान अधिकारियों के दौरे के प्रत्येक दिन के अंत में डाक मतपत्र आदि वाले फार्म 12ग के लिफाफों और निर्वाचकों के हस्ताक्षर/अंगूठे के निशान वाले मतपत्रों के काउंटरफॉइल तथा अन्य विवरणों को अनुपस्थित रहने वाले मतदाताओं द्वारा डाक मतदान कराने हेतु नामित सहायक रिटर्निंग अधिकारी द्वारा एकत्रित किया जाएगा। सहायक रिटर्निंग अधिकारी द्वारा उन्हें सुरक्षित रूप से रखने के लिए उन्हें रिटर्निंग अधिकारी के मुख्यालय भेजने का प्रबंध किया जाएगा। सहायक रिटर्निंग अधिकारी प्रत्येक दिन भेजे गए मतपत्रों की संख्या दर्शाने वाले रिकॉर्ड रखेंगे। इसे रिटर्निंग अधिकारी के साथ भी दैनिक आधार पर साझा किया जाना चाहिए।

7. **निर्वाचन आयोग के उपर्युक्त दिशा-निर्देशों के बारे में निर्वाचन लड़ रहे अभ्यर्थियों को भी विधिवत रूप से सूचित किया जाएगा।**

*****

अनुलग्नक-1

<u>डाक मतपत्रों के माध्यम से मतदान करने हेतु पात्र एवीएससी, एवीपीडी और एवीसीओ निर्वाचकों की सूची</u>

निर्वाचन का नाम .....

निर्वाचन क्षेत्र का नाम .....

क्र.सं.	निर्वाचक का नाम	भाग संख्या	भाग में क्रम सख्या	ईपीआईसी संख्या

रिटर्निंग अधिकारी के हस्ताक्षर

दिनांकः

अनुलग्नक-2

<u>डाक मतपत्र के साथ जारी किए गए एवीएससी, एवीपीडी और एवीसीओ निर्वाचकों की सूची</u>

निर्वाचन का नाम ……

निर्वाचन क्षेत्र का नाम ……

क्र.सं.	**निर्वाचक का नाम**	**एवीएससी/एवीपीडी निर्वाचकों की सूची में क्रम संख्या**	**पहचान के लिए प्रस्तुत दस्तावेज**	**तारीख, जिस दिन मतदान किया गया**	**निर्वाचक के हस्ताक्षर/अंगूठे का निशान**

रिटर्निंग अधिकारी के हस्ताक्षर

दिनांकः ……..

भारत निर्वाचन आयोग

निर्वाचन सदन, अशोक रोड, नई दिल्ली-110001

निदेश

दिनांकः 18 सितंबर, 2015

सं. 52/2015/एसडीआर/खंड.1.1: डाक मतपत्रों पर भाषा और ब्योरों के संबंध में आयोग के विद्यमान निदेशों के आंशिक संशोधन में, निम्नलिखित संशोधन किए गए हैं:

1. दो प्रकार के डाक मतपत्रों के लिए अलग-अलग ब्योरे होंगे अर्थात् (i) सेवा मतदाताओं के लिए डाक मतपत्र और (ii) डाक मतपत्रों द्वारा मत डालने हेतु पात्र अन्य श्रेणियों के निर्वाचकों के लिए।

(i) सेवा मतदाताओं के लिए, डाक मतपत्र विद्यमान निदेशों के अनुसार जारी रहेंगे, सिवाय उनमें यह संशोधन किया जाएगा कि डाक मतपत्र जब एक कॉलम में मुद्रित किया जाए तो उसकी चौड़ाई 4" से 5" जैसी भी आवश्यक समझी जाए, के बीच होगी। अभ्यर्थियों के नाम, पार्टी संबंधता के बारे में ब्योरे राज्य की शासकीय भाषा और अंग्रेजी भाषा में मुद्रित किए जाएंगे।

(ii) अन्य श्रेणियों के निर्वाचकों अर्थात विशेष मतदाता निवारक निरोध पर निर्वाचकों और निर्वाचन कार्यों के लिए नियुक्त निर्वाचकों हेतु डाक मतपत्र के लिए अभ्यर्थियों को आबंटित निर्वाचन प्रतीक भी मुद्रित किए जाएंगे। निर्वाचन प्रतीक अभ्यर्थी की फोटो और वोट देने के लिए बनाई जगह के बीच मुद्रित किया जाएगा। इस मामले में डाक मतपत्र पर ब्यौरे को उस राज्य की शासकीय भाषा में ही मुद्रित किया जाएगा। मतपत्र की चौड़ाई, जब इसे एक कॉलम में मुद्रित किया जाएगा, 4" से 5", जैसी भी आवश्यक समझी जाए, के बीच होगी।

2. उपरोक्त निदेश इसके उपरांत आयोजित किए जाने वाले लोक सभा और विधान सभा के सभी निर्वाचनों के संबंध में लागू होंगे।

के आदेश से
हस्ता/-
(अनुज जयपुरियार)
सचिव

भारत निर्वाचन आयोग

निर्वाचन सदन, अशोक रोड, नई दिल्ली-110001

सं. 52/2015/एसडीआर/खंड.1 दिनांकः 18 सितंबर, 2015

सेवा में,

सभी राज्यों व संघ राज्य-क्षेत्रों के
मुख्य निर्वाचन अधिकारी

विषयः डाक मतपत्रों पर मुद्रित किए जाने वाले ब्योरे - तत्संबंधी।

महोदय,

डाक मतपत्रों पर ब्योरों के मुद्रण पर आयोग के विद्यमान निदेशों के आंशिक संशोधन में, आयोग ने डाक मतदान पत्रों के ब्योरे में निम्नानुसार संशोधन किया हैः

1. दो प्रकार के डाक मतपत्रों के लिए अलग-अलग ब्योरे होंगे अर्थात् (i) सेवा मतदाताओं के लिए डाक मतपत्र और (ii) डाक मतपत्र द्वारा मत डालने हेतु पात्र निर्वाचकों की अन्य श्रेणियों के लिए डाक मतपत्र। सेवा मतदाताओं के लिए डाकपत्र विद्यमान निदेशों के अनुसार जारी रहेंगे, सिवाय उनमें यह संशोधन किया जाएगा कि डाक मतपत्र जब एक कॉलम में मुद्रित किया जाए तो उसकी चौड़ाई 4" से 6", जैसी भी आवश्यक समझी जाए, के बीच होगी। अभ्यर्थी के नाम और पार्टी की संबंद्धता के बारे में ब्योरे राज्य की शासकीय भाषा और अंग्रेजी भाषा में मुद्रित होने जारी रहेंगे।

2. डाक मतपत्र की ऊपर उल्लिखित दूसरी श्रेणी अर्थात, सेवा मतदाताओं के अलावा वे लोग जो डाक मतपत्र द्वारा मत देने हेतु पात्र हैं, के लिए अभ्यर्थी को आबंटित निर्वाचन प्रतीक भी उस पर मुद्रित होगा। मतपत्र के ब्योरे राज्य की शासकीय भाषा में ही मुद्रित किए जाएंगे। मतपत्र की चौड़ाई, जब इसे एक कॉलम में मुद्रित किया जाएगा तो 4" से 6", जैसी भी आवश्यक समझी जाए, के बीच होगी। अन्य सभी पहलुओं पर विद्यमान निदेश लागू होना जारी रहेंगे।

3. आयोग के दिनांक 21/05/2015 के पत्र सं. 576/3/2015/एसडीआर द्वारा पहले से यथानिदेशित, दोनों प्रकार के डाक मतपत्रों पर अभ्यर्थी के फोटो मुद्रित किए जाएंगे।

सभी राज्यों/संघ राज्य क्षेत्रों में संसदीय और विधान सभा निर्वाचन क्षेत्रों के जिला निर्वाचन अधिकारियों, रिटर्निंग अधिकारियों तथा सहायक रिटर्निंग अधिकारियों के उपर्युक्त निदेश की तत्काल सूचना दी जाए। इसे मान्यता प्राप्त राष्ट्रीय और राज्यीय राजनैतिक दलों की राज्य-इकाइयों सहित आपके राज्य में आधारित सभी राजनैतिक दलों के ध्यान में भी लाया जाए।

कृपया पावती दें।

भवदीय,
हस्ता/-
(एन.टी. भूटिया)
अवर सचिव

ई-मेल/स्पीड पोस्ट द्वारा

भारत निर्वाचन आयोग

निर्वाचन सदन, अशोक रोड, नई दिल्ली-110001

सं. 52/2016/एसडीआर/खंड.1 दिनांकः 24 फरवरी, 2021

सेवा में,

सभी राज्यों व संघ राज्य-क्षेत्रों के
मुख्य निर्वाचन अधिकारी

विषयः डाक मतपत्रों पर मुद्रित किए जाने वाले ब्योरे - तत्संबंधी।

महोदय,

मुझे यह कहने का निदेश हुआ है कि डाक मतपत्रों पर ब्योरों के मुद्रण पर आयोग के विद्यमान निदेशों में आंशिक संशोधन किया गया है। डाक मतदान पत्रों के ब्योरे और भाषा निम्नानुसार होगीः

1. दो प्रकार के डाक मतपत्रों के लिए अलग-अलग ब्योरे होंगे अर्थात (i) सेवा मतदाताओं के लिए डाक मतपत्र और (ii) डाक मतपत्र द्वारा मत डालने हेतु पात्र निर्वाचकों की अन्य श्रेणियों के लिए डाक मतपत्र। सेवा मतदाताओं के लिए डाकपत्र विद्यमान निदेशों के अनुसार जारी रहेंगे, सिवाय उसमें यह संशोधन किया जाएगा कि डाक मतपत्र जब एक कॉलम में मुद्रित किया जाए, तो उसकी चौड़ाई 4" से 6", जैसी भी आवश्यक समझी जाए, के बीच होगी। अभ्यर्थियों के नाम और पार्टी संबंद्धता के बारे में ब्योरे राज्य की शासकीय भाषा और अंग्रेजी भाषा में मुद्रित होने जारी रहेंगे। तथापि, अभ्यर्थी की फोटो विद्यमान अनुदेशों के अनुसार मुद्रित की जाएगी।

2. डाक मतपत्र की ऊपर उल्लिखित दूसरी श्रेणी अर्थात्, सेवा मतदाताओं के अलावा वे लोग जो डाक मतपत्र द्वारा मत देने हेतु पात्र हैं, के लिए अभ्यर्थियों को आबंटित निर्वाचन प्रतीक और अभ्यर्थियों के फोटोग्राफ भी उस पर मुद्रित होंगे। डाक मतपत्र के ब्योरे राज्य की शासकीय भाषा और **अंग्रेजी भाषा (जहां अंग्रेजी शासकीय भाषा नहीं हैं)** में भी मुद्रित किए जाएंगे। इन श्रेणियों के निर्वाचकों के मामलों में डाक मतपत्र पर पार्टी की संबद्धता मुद्रित करने की आवश्यकता नहीं है। डाक मतपत्र की चौड़ाई, जब इसे एक कॉलम में मुद्रित किया जाएगा, 4" से 6", जैसी भी आवश्यक समझी जाए, के बीच होगी। अन्य सभी पहलुओं पर विद्यमान निदेश लागू होना जारी रहेंगे।

3. आयोग के दिनांक 21/05/2015 के पत्र सं. 576/3/2015/एसडीआर द्वारा पहले से यथानिदेशित, दोनों प्रकार के डाक मतपत्रों पर अभ्यर्थी के फोटो मुद्रित किए जाएंगे।

सभी राज्यों/संघ राज्य क्षेत्रों में संसदीय और विधान सभा निर्वाचन क्षेत्रों के जिला निर्वाचन अधिकारियों, रिटर्निंग अधिकारियों तथा सहायक रिटर्निंग अधिकारियों को उपर्युक्त निदेश की तत्काल सूचना दी जाए। इसे मान्यता प्राप्त राष्ट्रीय और राज्यीय राजनैतिक दलों की राज्य इकाईयों सहित आपके राज्य में आधारित सभी राजनैतिक दलों के ध्यान में भी लाया जाए।

उपर्युक्त राजनैतिक दलों से प्राप्त पावती को आयोग को अग्रेषित किया जाए।
कृपया पावती दें।

भवदीय,
हस्ता/-
(एन.टी. भूटिया)
अवर सचिव

भारत निर्वाचन आयोग

निर्वाचन सदन, अशोक रोड, नई दिल्ली-110001

निदेश

दिनांकः 24 फरवरी, 2016

सं. 52/2016/एसडीआर/खंड.1.1: डाक मतपत्रों पर भाषा और ब्योरों के संबंध में आयोग के विद्यमान निदेशों के आंशिक संशोधन में, निम्नलिखित संशोधन किए गए हैं:

1. दो प्रकार के डाक मतपत्रों के लिए अलग-अलग ब्योरे होंगे अर्थात् (i) सेवा मतदाताओं के लिए डाक मतपत्र और (ii) डाक मतपत्र द्वारा मत डालने हेतु पात्र निर्वाचकों की अन्य श्रेणियों के लिए डाक मतपत्र। सेवा मतदाताओं के लिए डाकपत्र विद्यमान निदेशों के अनुसार जारी रहेंगे, सिवाय उनमें यह संशोधन किया जाएगा कि डाक मतपत्र जब एक कॉलम में मुद्रित किया जाए तो उसकी चौड़ाई 4" से 6", जैसी भी आवश्यक समझी जाए, के बीच होगी। अभ्यर्थी के नाम और पार्टी की संबंद्धता के बारे में ब्योरे राज्य की शासकीय भाषा और अंग्रेजी भाषा में मुद्रित होने जारी रहेंगे। अभ्यर्थी की फोटो विद्यमान अनुदेशों के अनुसार डाक मतपत्र पर मुद्रित की जाएगी।

2. डाक मतपत्र की ऊपर उल्लिखित दूसरी श्रेणी अर्थात्, सेवा मतदाताओं के अलावा वे लोग जो डाक मतपत्र द्वारा मत देने हेतु पात्र हैं, के लिए अभ्यर्थियों को आबंटित किया गया निर्वाचन प्रतीक और अभ्यर्थियों की फोटो भी उस पर मुद्रित होगी। डाक मतपत्र के ब्यौरे उस राज्य की शासकीय भाषा और अंग्रेजी भाषा (जहां अंग्रेजी शासकीय भाषा नहीं हैं) में भी मुद्रित होंगे। इसके अतिरिक्त, ऐसी श्रेणी के निर्वाचकों के मामलों में डाक मतपत्र पर पार्टी की संबद्धता मुद्रित करने की आवश्यकता नहीं है। डाक मतपत्र की चौड़ाई, जब इसे एक कॉलम में मुद्रित किया जाएगा, 4" से 6" जैसी भी आवश्यक समझी जाए, के बीच होगी। अन्य सभी पहलुओं पर विद्यमान निदेश लागू होना जारी रहेंगे।

3. अभ्यर्थियों की फोटो का मुद्रण आयोग के दिनांक 21/05/2015 के पत्र सं. 576/3/2015/एसडीआर/खंड.1 के अनुदेश के अनुसार किया जाएगा।

आदेश से,

हस्ता/-
(अनुज जयपुरियार)
सचिव